

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 75/2017

तारीख रजू:- 27.9.2017

1 काडू

2 समय सिंह

पिसरान रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम

जिला करौली

:- अपीलान्ट

## बनाम

1 उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट जिला करौली

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश अदालत उपतहसीलदार बालघाट व मुकदमा उनवानी सरकार  
बनाम काडू मुकदमा नम्बर 94/17 तारीख 30.8.2017

## निर्णय

दिनांक 16.1.2019


वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील उपतहसीलदार बालघाट के निर्णय दिनांक 30.8.2017 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि विवादति भूमि अपीलान्ट के बुजुगान पिछले 50 सालो से रिहायस करते चले आ रहे है उनके बुजुगान फौत हो जाने पर अपीलान्ट रिहायसी कर रहे है। ग्राम पंचायत भण्डारी अन्दरूनी पंचयत समिति टोडाभीम ने विशेष ग्राम सभा दिनांक 9.10.2015 को भूमि खसरा नम्बर 179,184,241,261, ग्राम एदलपुर के सम्बन्ध मे प्रस्ताव संख्या 3 लिया गया था। जिसमे गरीब परिवारो को आवासीय हेतु विस्तार करने हेतु आरक्षित की जावेगी। उक्त प्रस्ताव को दिनांक 17.7.2017 को तहसीलदार टोडाभीम ने राजस्थानभू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत आबादी प्रस्ताव तैयार कराकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली को भिजवाया गया। अपीलान्ट निर्णय मे अंकित भूमि के सम्बन्ध मे राजस्थान सरकार का प्ररिपत्र क्रमाक प.6(17)राज./3/71/जयपुर दिनांक 3.7.1971 के अनुसार अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय मे अंकित भूमि के सम्बन्ध मे मालकाना हक प्राप्त हो चुका है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया है। इसी सम्बन्ध मे नयायालय सिविल न्यायाधीश टोडाभीम के यहा पर भी बाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र उनवानी भंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है जिसमे मौके स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये है। अन्त मे अपील अपीलान्ट पेश कर मातहत अदालत का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

हमने वकील अपीलान्ट की वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 30.8.2017 को आराजी खसरा नम्बर 241 रकवा 0.25 है0 चरागाह पर पाटोरपोष, बाउण्डरी, शोचाल्य कब्जा आदि बनाकर अपीलान्ट/अतिकमी को बेदखल करते हुये तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध में कोई बेदखली आदि का साक्ष्य शामिल नहीं है। पश्चातवर्ती अतिचार गत वर्षों में किये गये अतिक्रमण को बेदखल करने के बाद ही माना जाता है। जहाँ पर वकील अपीलान्ट का अपील मीमो एवं दोराने बहस कथन था कि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव लिया जाकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया है वहाँ पर अपील मीमो के साथ आबादी विस्तार सम्बन्धि प्रस्तावों की छाया प्रति संलग्न की हुई है। जिससे विधित हो रहा है कि इस भूमि पर आबादी बनी हुई है। और निवास कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत ना सुनकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार बालघाट का निर्णय दिनांक 30.8.2017 को अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली पुनः रिमाण्ड कर नायब तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट को विधिवत सुना जावे तथा इस सम्बन्ध में आबादी विस्तार की पत्रावली विचाराधीन एवं सिविल न्यायालय में भी कोई वाद विचाराधीन है या नहीं सभी को ध्यान में रखते हुये गणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 16.1.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
करौली